



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण 1942 (श0)
(सं0 पटना 926) पटना, बुधवार, 2 दिसम्बर 2020

Je l:lk/ku foHkx

vf/k l puk

12 नवम्बर 2020

सं० 01/F1-102/2017-3201/अ०सं०—The Hazardous and Other Wastes (Management and Trans- boundary Movement) Rules, 2016 के नियम 5(2) के अन्तर्गत सभी कारखाना निरीक्षकों को उनके क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्राधिकार नियुक्त किया जाता है। सभी कारखाना निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उक्त नियम के अन्तर्गत अपने शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सूर्यकान्त मणि,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 926-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>